कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 546/11–सी–FP/UP/Road/29075/2017, लखनऊः दिनांकः सितम्बर 10 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र,
कानपुर।

विषयः– जनपद–चन्दौली के विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम–बाघी में हरिजन बस्ती, रामसकल साहनी के घर से दुर्गा मंदिर रोड तक सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य हेतु 0.072 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–355/26–11, दिनांक–16.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 06.09.2018 को प्राप्त हुआ। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न है किन्तु टोपाशीट पर शीर्षक व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा आवेदित वन भूमि की मॉंग न्यूनतम है।
3. प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map सीडी सहित संलग्न है किन्तु Geo Referenced Digital Map पर सभी बिन्दुओं का को–आर्डिनेटस अंकित नहीं है।
5. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण संहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सम्पूर्ण धनराशि रू0 136308.00/– अथवा रू0 136300.00/– अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है तथा सभी चरणों का प्राक्कलन भी संलग्न नहीं है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सम्पूर्ण धनराशि अंकित करते हुये संशोधित प्राक्कलन संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map सी0डी0 सहित संलग्न है किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक पूर्ण रूप से अंकित नहीं है तथा Geo Referenced Digital Map व संलग्न Google Map में दर्शित स्थल में भिन्नता है। अतः संशोधित Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन SoI Toposheet संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक अंकित नहीं है। अतः संशोधित SoI Toposheet संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड फीड किया गया है। अतः उचित डाटा फीड करते हुये संशोधित ऑनलाइन पार्ट–2 संलग्न करें।
9. प्रस्ताव की हार्ड कापी के भाग–2 के क्रमांक–10 (i) से 10 (iii) तक त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है।
10. ऑनलाइन भाग–2 के District Profile में विवरण त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है। अतः हार्ड कापी भाग–2 के अनुसार एक समान विवरण फीड करें।
11. प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map की संलग्न kml से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना में वृक्षों का पातन निहित है जबकि हार्डकापी भाग–2 में वृक्षों का पातन न होना बताया गया है। अतः स्थिति को स्पष्ट करते हुये संशोधित Geo Referenced Digital Map संलग्न कर एवं उसकी kml file अपलोड करते हुये सीडी संलग्न करें।

Acy-2263

12. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के Geo Referenced Digital Map की संलग्न kml से ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल में पूर्व से ही वृक्षरोपण कराया गया है। जिससे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का पुनः निरीक्षण कराकर संशोधित kml file व उसका Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें एवं kml file की सीडी भी संलग्न करें।

आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अत्यन्त लापरवाही दिखाते हुये प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव किसी भी स्तर से जाँचा नहीं गया है। कृपया भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय उचित परीक्षण करा लें। इससे न केवल अनावश्यक समय की बरबादी होती है, अपितु राजकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब भी होता है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–546 /11–सी– **FP/UP/Road/29075/2017**, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–चन्दौली।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2264